न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/336

1. रामलाल 55 वर्ष आत्मज रामकिशन जाति गुर्जर निवासी रमागंज बालाजी तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. जीतमल 30 वर्ष आत्मज रामलाल जाति गुर्जर निवासी रामगंज बालाजी तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्र आयु 70 वर्ष आत्मज श्री रामनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामगंज बालाजी तहसील एवं जिला बून्दी हाल निवासी सकतपुरा कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. मनभर बाई आयु 65 वर्ष पत्नी स्व0 श्री रामचन्द्र ।
   1/2. देव प्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र ।
   1/3. ओमप्राश पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र ।
   1/4. आशा पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र ।
   1/5. गणेश पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जातियान गुर्जर निवासीगण हाल सकतपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक वशिष्ट, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट मृतक रामचन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामगंज तहसील व जिला बून्दी में खतौनी संख्या नयी 155 की आराजी खसरा नम्बर 176 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 294 रकबा 02 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से खसरा नम्बर

176 में से 19 बिस्वा भूमि सडक में चली गई जिसका खसरा नम्बर 176/1 है । इस प्रकार कुल रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा है उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा दर्ज है जिस पर पक्षकारान संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । इस कारण वादी को लगान, पिलाई अदा करने में कठिनाई आती है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाए और अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को अपने पृथक खाते दर्ज करवाए।

3. अतः वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को उसके हिस्से 1/3 आराजी विभाजन में दी जाकर उक्त आराजी को वादी के नाम पृथक खाते में दर्ज किया तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे एवं वादी को उसके हिस्से की भूमि पर उसके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 15.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 21.08.2015 नियत थी । कैम्प की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई और न ही दिनांक 15.07.2015 को अपीलान्ट को बुलाया गया और न ही उसे सुना गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने और बिना बताये उक्त निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । प्रतिवादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.09.2014 को ही जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था जिसमें रेस्पोडेन्ट वादी का उक्त भूमि में कोई अधिकार शेष नहीं होने का कथन किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जवाबदावे को दरकिनार करते हुए एकतरफा निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.05.2016 को तलाश करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया था जिसमें अपीलान्ट ने जवाबदावा पेश कर दिया था जिसमें अपीलान्ट ने कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट का कोई हिस्सा शेष नहीं है वह अपने हिस्से की आराजी का पूर्व में ही बेचान कर चुका है । क्रेता के द्वारा एक दावा पेश किया गया था जो अपीलान्ट के जवाब के आधार पर खारिज किया गया । रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा भी उक्त भूमि को चन्द्रप्रकाश को बेचान करना माना था । अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से बहैसियत मालिक काबिज काश्त है । पत्रावली प्रतिवादी कम 3 व 4 की तलबी में चल रही थी इसी दौरान इसे लोक अदालत में रख दिया गया औरा लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया था । सीपीसी की पालना नहीं की गई है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाई जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट जो कथन करते हैं उनके समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । अपीलान्ट की उक्त अपील अवधि बाधित है और विलम्ब का कोई समुचित कारण नही बताया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से लोक अदालत में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी कम 3 व 4 की तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और अधीनस्थ न्यायालय ने इसी दिन दावा डिक्री कर दिया । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह लोक अदालत की भावना के विपरीत पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा